न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 293–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–10–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक अपील 17/2012–13

बादरसिंह पिता समसिंह
निवासी ग्राम गोलाछोरी, तहसील व
जिला झाबुआ, म0प्र0 ————आवेदक

विरूद्ध

बापू पिता बालू खराडी
निवासी ग्राम गोलाछोरी, तहसील व
जिला झाबुआ, म0प्र0 ————अनावेदक

– – – – – –

श्री बी0के0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 17 दिसम्बर 2014)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक अपील 17/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 31–10–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कलेक्टर जिला झाबुआ के पत्र कमांक 4098/रा0नि0का0/2011 दिनांक 21–12–2011 के अनुपालन में तहसीलदार झाबुआ द्वारा ग्राम गोलाछोटी में कोटवार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रकरण संस्थित कर उद्घोषणा प्रकाशित की गई। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित ठहराव प्रस्ताव दिनांक 2–10–2012 के अनुसार बापू पिता बालू खराडी को रिक्त पद पर तहसीलदार के आदेश दिनांक 19–10–2012 के द्वारा कोटवार पद पर नियुक्त किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 8–1–2013 के द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त किया। तत्पश्चात अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 31–10–2013 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि ग्राम गोलाछोटी में दो फलिये हैं एक आमली फलिया तथा दूसरा डुगरागोला। पूर्व में डुगरागोला फलिए के निवासी एक कोटवार की नियुक्ति हो चकी है। ग्राम गोला छोटी की जनसंख्या अधिक होने व अलग अलग दो फलिए होने से कोटवार का एक पद अतिरिक्त बनाया गया। अतः दूसरे कोटवार की नियुक्ति दूसरे फलिये से होंनी चाहिए थी, जबकि तहसीलदार द्वारा अनावेदक की नियुक्ति की गई है जो कि डुगरागोला फलिए का ही निवासी है, इस प्रकार एक ही डुगरागोला फलिए से दोनों कोटवार नियुक्त हो गए। आवेदक आमली फलिया का निवासी है। इसलिए आमली फलिया का स्थानीय निवासी होने के कारण कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदक अधिक योग्य था, परन्तु तहसीलदार ने इस आधार पर अनावेदक की नियुक्ति कर दी कि उसकी शिक्षा आवेदक से अधिक है तथा कम उम्र का है, जबकि नियुक्ति में अधिक शिक्षा एवं कम उम्र होने को अधिमान्यता देने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। आवेदक अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत ने आवेदक तथा अनावेदक दोनों

के ही पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदन कर भेजा था, इसलिए तहसीलदार को किसी प्रकार की दुविधा थी, तो वह ग्राम पंचायत को प्रस्ताव वापस कर किसी एक व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव भेजने के लिए ग्राम पंचायत को निर्देश दे सकते थे एवं तदनुसार जिस व्यक्ति का प्रस्ताव प्राप्त होता उसे कोटवार नियुक्त करने का आदेश दे सकते थे। परन्तु ऐसा न कर तहसीलदार ने मनमाने तौर पर अनावेदक की नियुक्ति कर दी।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया कि यद्यपि ग्राम गोला छोटी में दो फलिए हैं। परन्तु ग्राम एक ही है अतः एक ग्राम से दोनों कोटवारों की नियुक्ति होना गलत नहीं है। गांव के कोटवार दोनों फलियों से अलग–अलग नियुक्त किया जाये, ऐसा कोई नियम नहीं है। चूंकि अनावेदक 8वीं पास है, एवं उसकी आयु भी आवेदक की आयु से कम है इसलिए तहसीलदार द्वारा कोटवार के पद पर उसकी नियुक्ति का आदेश पूर्णतः सही है, क्योंकि हर प्रकार से अनावेदक कोटवार पद की नियुक्ति के लिए आवेदक से अधिक उपयुक्त है। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा कि अनावेदक कोटवार पद पर आवेदक से अधिक योग्य है तथा तहसीलदार को कोटवार पद नियुक्ति के पूर्ण अधिकार है, उनके इस अधिकार में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। तहसीलदार का कोटवार नियुक्ति का आदेश वैधानिक रूप से सही था। इसलिए अपर आयुक्त न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8–1–2013 को निरस्त करने का जो आदेश दिया है वह पूरी तरह सेही है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत गोला छोटी द्वारा ग्राम गोला छोटी के कोटवार की नियुक्ति हेतु आवेदक की नियुक्ति का प्रस्ताव का अनुमोदन दिनांक 15–8–2010 तथा अनावेदक की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव दिनांक 2–10–2012 को किया था। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत ठहराव प्रस्ताव दिनांक 2–10–2012 के अनुसार तहसीलदार द्वारा ग्राम कोटवार के पद पर अनावेदक बापू पिता बालू की नियुक्ति का आदेश दिया। आवेदक तथा अनावेदक दोनों ही कोटवार पद की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता रखते थे तथा

दोनों का ही प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किया था। तहसीलदार ने अनावेदक बापू के कक्षा 8वीं तक पढ़े होने एवं उम्र 24 वर्ष होने तथा आवेदक कक्षा 5वीं तक पढ़े होने तथा उसकी उम्र 37 वर्ष 6 माह होने से अनावेदक बापू को कोटवार पद के लिए योग्य माना है। कोटवार पद पर नियुक्ति के लिए उम्र कम होने अथवा शैक्षणिक योग्यता अधिक होने से उसे वरीयता देने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। दोनों ही उम्मीदवार कोटवार पद के लिए निर्धारित योग्यता रखते थे, ऐसी स्थिति में कोटवार पद पर नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि एक ही ग्राम के लिए कोटवार के दो पद क्यों स्वीकृत किये गये। जैसा कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में उल्लिखित किया गया है एवं आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में भी बताया गया है कि ग्राम गोला छोटी में दो फलिये आमली फलिया तथा डुगरागोला है। ग्राम में जनसंख्या अधिक होने से तथा दोनों फलिये के बीच में दूरी होने से अलग–अलग कोटवार पद का सृजन किया गया, ऐसी स्थिति में एक ही ग्राम के एक फलिये के निवासी की नियुक्ति कोटवार पद पर पूर्व में की जा चुकी थी तब दोनों आवेदकों के योग्य होने पर स्वाभाविक रूप से दूसरे कोटवार के पद पर दूसरे फलिए के निवासी आवेदक की नियुक्ति करना उचित होता। यदि आवेदकों में से किसी एक फलिए का निवासी आवेदक योग्यता नहीं रखता तो यह आवश्यक नहीं कि योग्य न होने पर भी केवल फलिए के निवासी होने के आधार पर नियुक्ति की जाए ऐसी स्थिति में उसी ग्राम के किसी दूसरे फलिये के निवासी उम्मीदवार की भी नियुक्ति की जा सकती है, परन्तु जब दोनों ही फलिए के निवासी कोटवार पद की नियुक्ति की पूर्ण योग्यता रखते हैं एवं ग्राम में कोटवार के दो पद हैं तो यह अधिक उपयुक्त होता कि तहसीलदार एक ही फलिये से दोनों कोटवारों की नियुक्ति न कर अलग फलिए जिससे पूर्व में कोटवार नियुक्त नहीं हुआ, के निवासी को अधिमान्यता देते, क्योंकि ग्राम में फलिए पृथक–पृथक होते हैं जिनके बीच दूरी होती है, स्थानीय निवासी अधिक तत्परता से कोटवारी के कार्य कर सकता है। तहसीलदार द्वारा अनावेदक को कोटवार पद पर नियुक्ति करने में उक्त तथ्य पर विचार नहीं किया गया। अपर आयुक्त द्वारा भी इस ओर ध्यान न देकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त

करने में त्रुटि की है। अतः तहसीलदार एवं अपर आयुक्त के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–2013 एवं तहसीलदार झाबुआ का आदेश दिनांक 19–10–2012 निरस्त किये जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–1–2013 स्थिर रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर